

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

8/1/24 पत्रावली पेश। वास्तु बहुस अंतिम
आवश्यक रूप से पत्रावली दिनांक
12/02/2024 को पेश हो। ✓

12/24

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
दोरे/ मिटिंग/ V.C. में व्यस्त होने
से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली
दिनांक.....1-4-24 को पेश हो। ✓

1/24 पत्रावली पेश। वास्तु बहुस अंतिम आवश्यक
रूप से पत्रावली दिनांक 3/5/2024 को
पेश हो। ✓

3/5/24 पत्रावली पेश। बहुस अंतिम सुनी गई। वास्तु
आदेश पत्रावली दिनांक - 16/05/2024 को
पेश हो। ✓

16/05/24 पत्रावली पेश। वकील प्राची द्वारा बहुस के दौरान
उस्तुत तरीके पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्राची
द्वारा अपनी स्वतंत्र श्रमि ख० स० 657/107
व 660/145 की ग्राम सुखपुरा प०स० टोन्डा
की तस्मीम दुस्तुती बाबत उस्तुत प्रकरण उस्तुत
किया गया। उस्तुत प्रकरण में प्राची द्वारा
उसकी श्रमिओं की तस्मीम दुस्तुत करने
के लिये श्रमि के पडोसी काश्तकार जिनकी श्रमि
सीमा प्राची की स्वतंत्र श्रमि के सुदुरे
स्थित हैं, को आवश्यक पदकार देने

उपखण्ड अधिकारी
दिण्डोली (बून्दी)

से प्रकरण में संशोधित किया जाना
चाहिये था. जो की नही किया किया
गया है. ऐसी स्थिति में प्राचीन तस्वीर
दुरूस्ती से प्रभावित होने वाले पर्यकार
को सुने बिना निर्णय किया जाना न्यायोचित
प्रतीत नही होता है.

प्रकरण में उपरोक्त विवेचननुसार
आवश्यक पर्यकारी का कुसंशोधन होने से
प्रकरण स्वारीज किया जाता है. पत्रावली
फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील
नम्बर से कम होकर दाखिल रफ्तार
हो. निर्णय ऐसे इजलास सुनाया गया.

उपखण्ड अधिकारी
हिडोली (बन्दी)